संख्या– 3628/71–1–07–जी–92/2007

प्रेषक,

अशोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

269

सेवा में,

✓ महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 13 नवम्बर, 2007

विषयः– राज्याधीन सेवाओं में आरक्षित वर्ग की बिना भरी रिक्तियों से उत्पन्न बैकलाग को भरे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एम0ई0–1/1/07/बैकलाग/427 दिनांक 11.10.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ कार्यालयों में बैकलाग के अन्तर्गत समूह 'ग' के तकनीकी पदों पर चयन की कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित समूह 'ग' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रकिया नियमावली, 2002 यथासंशोधित नियमावली, 2003 की व्यवस्थानुसार की जायेगी ।

2– कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अशोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या– 3628(1)/71–1–07–जी–92/2007 तददिनांक

प्रतिलिपि समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज/सम्बद्ध चिकित्सालयों के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/संस्थानों के निदेशकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से

(राम कुमार प्रसाद)
संयुक्त सचिव

81-176

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3
संख्या- 2158 /71-3-2003- 323/83
लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2003

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :

उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर्स (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन (संशोधन) नियमावली, 2003

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1)- यह नियमावली उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन (संशोधन) नियमावली, 2003 कही जायेगी।

(2)- यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नया नियम 4-क का बढ़ाया जाना।

2- उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 में, वर्तमान नियम 4 के पश्चात निम्नलिखित नया नियम 4-क बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

प्रैक्टिस बन्दी वेतन या भत्ता की वसूली और सरकारी पेंशनरी फायदों का समपहरण

"4-क - नियम 4 के अधीन भुगतान की गयी प्रैक्टिस बन्दी वेतन या भत्ता की पूर्ण धनराशि की वसूली उस सरकारी डाक्टर से की जाएगी जो प्राइवेट प्रैक्टिस में लिप्त होने का दोषी पाया गया हो। ऐसा सरकारी डाक्टर, ऐसे वेतन या भत्तों पर उसे अनुपन्य पेंशनरी लाभ पाने के अपने हक को भी समपहृत कर देगा।"

(जगजीत सिंह)
सचिव

--2--